*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–16/14 166 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक– 24/03/18

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल ₹8100.00 लाख (एकासी करोड़ रु०) मात्र का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट, जलापूर्ति, पार्कों में लाईट, बोरिंग इत्यादि यंत्रों पर विद्युत की खपत होती है तथा इसके लिए उन्हें विद्युत विपत्र प्राप्त होते हैं। नगर निकायों द्वारा विद्युत विपत्रों का भुगतान अपने आंतरिक संसाधन, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग के अनुदान निधि से किया जाता है।

2. नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण विद्युत विपत्रों का भुगतान लंबित रह जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकायों के विद्युत विपत्रों के बकाए भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत रूप से ₹442.31 करोड़ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया गया। ऊर्जा विभाग के राज्यादेश सं०– 864, दिनांक– 18.03.2015 द्वारा उक्त राशि की निकासी कर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (SBPDCL) तथा उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (NBPDCL) को क्रमशः ₹386.72 करोड़ तथा ₹55.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। उक्त राशि से नगर निकायों के दिनांक– 31.03.2015 तक के बकाए विद्युत विपत्रों का समायोजन किया गया तथा उक्त तिथि को SBPDCL का नगर निकायों पर ₹37.16 करोड़ तथा NBPDCL का नगर निकायों पर ₹6.66 करोड़ अर्थात् कुल ₹43.82 करोड़ (तेतालीस करोड़ बेरासी लाख रु०) बकाया लम्बित रहा।

3. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिनांक– 01.04.2015 को पाए गए उक्त बकाए को जोड़कर आगे के विद्युत विपत्रों की गणना की गई एवं नगर निकायों से बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान का अनुरोध किया गया। नगर निकायों द्वारा अपने संसाधनों, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग की राशि से विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जाता रहा। नगर निकायों के विद्युत कम्पनियों पर होल्डिंग टैक्स के समायोजन के बावजूद बकाए विद्युत विपत्रों की राशि बढ़ती गई।

4. नगर निकायों एवं विद्युत कम्पनियों के बीच विद्युत विपत्रों तथा होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में विवाद होने के कारण मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 01.12.2017 को बैठक आयोजित किया गया। बैठक में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :–

''वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के सभी नगर निकाय, दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों के सभी विद्युत कनेक्शन के चालू विद्युत विपत्र का भुगतान करेंगे। विद्युत विपत्र भुगतान हेतु राशि की अनुपलब्धता रहने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान कराने हेतु वित्त विभाग से माँग की जाएगी।''

5. उक्त निर्णय के आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन से ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र प्राप्त हुआ है। उक्त राशि में से दिनांक– 31.03.2015 तक समायोजन के पश्चात् अवशेष बकाया राशि ₹43.82 करोड़ (तेतालीस करोड़ बेरासी लाख रु०) का समायोजन करने के पश्चात् दिनांक– 01.04.2015 से आगे के बकाए राशि के समायोजन हेतु शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

6. तद्नुसार उक्त वर्णित स्थिति एवं विभागीय राज्यादेश सं०–165 दिनांक–28/3/18 आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु आवंटित की जाती है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र।

7. उक्त आवंटित ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र की **निकासी, विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा। इस राशि की निकासी BTC – 42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एक मुश्त कर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं० लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता सं०– 10839114909, आई०एफ०एस०सी० कोड– SBIN-0000153 में भुगतान किया जाएगा।**

8. उपर्युक्त स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

9. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 942, दिनांक– 01.09.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

10. आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग सं०– 48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0003–नगर निगम के जिम्मे बकाए विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड सं०– **48-2217801910003** विषय शीर्ष– 0003.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंध से की जाएगी।

11. सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ऊर्जा विभाग से प्राप्त किया जाएगा। ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त राशि से जिन–जिन नगर निकायों के बकाए राशि का समायोजन किया जाएगा, उन नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी से विहित प्रपत्र– 42A में हस्ताक्षर

प्राप्त कर अन्य संबंधित कागजातों सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा तथा विभाग के स्तर से प्रतिहस्तक्षारित कर समायोजन हेतु महालेखाकार को भेजा जाएगा।

12. मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 27.03.2018 को आयोजित बैठक के मद संख्या– 12 द्वारा राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. इसकी महालेखाकार, बिहार, पटना/सूचना प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–16/14 166 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 28/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07, नगर विकास एंव आवास विभाग/कार्यालाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/बजट–14–16/14 165 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 28/07/18

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल ₹8100.00 लाख (एकासी करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट, जलापूर्ति, पार्कों में लाईट, बोरिंग इत्यादि यंत्रों पर विद्युत की खपत होती है तथा इसके लिए उन्हें विद्युत विपत्र प्राप्त होते हैं। नगर निकायों द्वारा विद्युत विपत्रों का भुगतान अपने आंतरिक संसाधन, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग के अनुदान निधि से किया जाता है।

2. नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण विद्युत विपत्रों का भुगतान लंबित रह जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकायों के विद्युत विपत्रों के बकाए भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत रूप से ₹442.31 करोड़ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया गया। ऊर्जा विभाग के राज्यादेश सं०– 864, दिनांक– 18.03.2015 द्वारा उक्त राशि की निकासी कर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (SBPDCL) तथा उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (NBPDCL) को क्रमशः ₹386.72 करोड़ तथा ₹55.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। उक्त राशि से नगर निकायों के दिनांक– 31.03.2015 तक के बकाए विद्युत विपत्रों का समायोजन किया गया तथा उक्त तिथि को SBPDCL का नगर निकायों पर ₹37.16 करोड़ तथा NBPDCL का नगर निकायों पर ₹6.66 करोड़ अर्थात् कुल ₹43.82 करोड़ (तेतालीस करोड़ बेरासी लाख रु०) बकाया लंबित रहा।

3. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिनांक– 01.04.2015 को पाए गए उक्त बकाए को जोड़कर आगे के विद्युत विपत्रों की गणना की गई एवं नगर निकायों से बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान का अनुरोध किया गया। नगर निकायों द्वारा अपने संसाधनों, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग की राशि से विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जाता रहा। नगर निकायों के विद्युत कम्पनियों पर होल्डिंग टैक्स के समायोजन के बावजूद बकाए विद्युत विपत्रों की राशि बढ़ती गई।

4. नगर निकायों एवं विद्युत कम्पनियों के बीच विद्युत विपत्रों तथा होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में विवाद होने के कारण मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 01.12.2017 को बैठक आयोजित किया गया। बैठक में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के सभी नगर निकाय, दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों के सभी विद्युत कनेक्शन के चालू विद्युत विपत्र का भुगतान करेंगे। विद्युत विपत्र भुगतान हेतु राशि की अनुपलब्धता रहने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान कराने हेतु वित्त विभाग से माँग की जाएगी।"

5. उक्त निर्णय के आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन से ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र प्राप्त हुआ है। उक्त राशि में से दिनांक– 31.03.2015 तक समायोजन के पश्चात् अवशेष बकाया राशि ₹43.82 करोड़ (तेतालीस करोड़ बेरासी लाख रु०) का समायोजन करने के पश्चात् दिनांक– 01.04.2015 से आगे के बकाए राशि के समायोजन हेतु शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

6. तद्नुसार उक्त के आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्वीकृत की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र की **निकासी, विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा। इस राशि की निकासी BTC – 42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एक मुश्त कर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं० लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता सं०– 10839114909, आई०एफ०एस०सी० कोड– SBIN-0000153 में भुगतान किया जाएगा।**

8. उपर्युक्त स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

9. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 942, दिनांक– 01.09.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग सं०– 48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0003–नगर निगम के जिम्मे बकाए विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड सं०– **48-2217801910003** विषय शीर्ष– 0003.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंध से की जाएगी।

11. सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ऊर्जा विभाग से प्राप्त किया जाएगा। ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त राशि से जिन–जिन नगर निकायों के बकाए राशि का समायोजन किया जाएगा, उन नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी से विहित प्रपत्र– 42A में हस्ताक्षर प्राप्त कर अन्य संबंधित कागजातों सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा तथा विभाग के स्तर से प्रतिहस्तक्षारित कर समायोजन हेतु महालेखाकार को भेजा जाएगा।

12. मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 27.03.2018 को आयोजित बैठक के मद संख्या– 12 द्वारा राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट–14–16/14 के पृष्ठ सं०– 138 /टि० पर दिनांक– 28.3.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 139 /टि० पर दिनांक– 28.3.2018 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–16/14 165 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 28/3/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एंव आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।